

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला-भीलवाड़ा

11/1/25

बनाम श्री. ज.

मुकदमा धारा S3-88 RJA प्रकरण संख्या 48/18

MS नम्बर:- 2018/00123

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागील में जारी हुए
	<p>पत्रावली पेश हुई। आवाज के बारी प्रतिवाद उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दोरे पर हैं। पत्रावली 16/4/25 की वास्तु 10 पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>4/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली को Not proved किया परन्तु प्रतिवादी अधिवक्ता के cross मूवमेंट के आधार पर तहकीबदार को प्रु: 10 जारी होकर, तहरीर जारी हो। लॉक में ड्राफ्ट मूवमेंट खेला गया जिसे पत्रावली के प्रु: 10 रिपोर्ट आगामी दिनांक 7/5/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उ उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा</p> <p>5/25 पत्रावली पेश की। पत्रावली वास्तु इ. 10 रिपोर्ट आगामी दिनांक 27/5/25 को पेश हो।</p> <p>5/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्तु इ. 10 रिपोर्ट आगामी दिनांक 17/1/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उ</p>	<p>Not proved</p> <p>16/4/25</p> <p>(निमित्त साक्षर?) उ. वि. 1/1/25</p> <p>7/5/25</p>

तारीख
क्रम

हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17/6/25 पञ्जवली चेरा इरी पञ्जवली वास्तु हो
रिपोर्ट (TR) भागानी दिग्ग 01/7/25
हो चेरा हो 3/

01/7/25 पञ्जवली पेश हुइ। अभिभाषक कदी/प्रतिवादी
सपस्थित श्रीमान P.O. सा. दोष मर हें। प्रात्रपली
दिनांक 30/7/25 को वास्तु हें. रि. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

30/7/25 पञ्जवली चेरा इरी तहसीलदार बिजौलियाँ
से बैटवड़ा पुस्तक प्राप्त हुमा, कि
शाखिस पञ्जवली क्रिया गया प्रतिवादी
माधिवमता द्वारा बैटवड़ा पुस्तक स्वीकृत
क्रिया गया। पञ्जवली में 100/- का
स्ट्रम्प चेरा हो पञ्जवली वास्तु F 3
भागानी दिग्ग 05/08/25 को चेरा हो।

05/08/25 पञ्जवली चेरा इरी पञ्जवली में
क्रिया एवं शक्ति डिग्री (F 3) जारी हो
गई। पञ्जवली नम्बर से उम होवर
कारिस पपतर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 48/2018

दायर दिनांक 17.05.2018

अनवान

नारायण पिता सीताराम जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी केरखेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादी

बनाम

1. भोजा पिता सीताराम जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी केरखेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजु पिता सीताराम जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी केरखेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

- उपरिथत :-
1. श्री गिरधारीलाल आचार्य - विद्वान अधिवक्ता वादी
 2. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:- निर्णय :-

दिनांक :- 05/08/2025



संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 12/03/2020 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि ग्राम केरखेड़ा पटवार हल्का रेसून्दा तहसील बिजौलिया में स्थित आराजी नं0 265 रकबा 13-00 बीघा किस्म भूमि बारानी तृतीय, आराजी नं0 265/1 रकबा 0-02 बीघा किस्म भूमि चाह, आराजी नं0 737/265 रकबा 5-00 बीघा किस्म बारानी तृतीय कुल कित्ता 3 रकबा 18-02 बीघा भूमि में से चाह को छोड़कर शेष भूमि वादी के हिस्से की सीमा तक 5/6 का 1/2 हिस्सां 7-10 बीघा भूमि वादीगण को राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/263 दिनांक 22.02.2024 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।


उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

पेज संख्या 02

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना मू-अभिलेख निरीक्षक कास्यां ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	नारायण पुत्र सीताराम जाति गुर्जर सा० देह खातेदार	केरखेडा	265/4	0.8094
	योग		737/265/1	0.4047
02	भोजा पुत्र सीताराम जाति गुर्जर सा० देह खातेदार	केरखेडा	खसरा 02	1.2141
	योग		265/3	0.4856
03	राजू पुत्र सीताराम जाति गुर्जर सा० देह खातेदार	केरखेडा	खसरा 01	0.4856
	योग		265/2	0.8094
04	नारायण पुत्र सीताराम 5/12 भोजा पुत्र सीताराम 1/6 राजु पुत्र सीताराम 5/12 जाति गुर्जर सा० देह खातेदार	केरखेडा	737/265/2	0.4047
	योग		खसरा 02	1.2141
			265/1	0.0162
	योग		खसरा 01	0.0162

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।



8
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 05/08/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां